कमल ने आज फिर एसडीपी डोनेट की

कोटा, (निसं)। कोटा के महराव भीम सिंह अस्पताल में गंभीर बीमारी के चलते भर्ती दिगोद निवासी देवलाल की जान बचाने के लिए सोमवार को कमल कुमार इंसा ने इंसानियत का फर्ज निभाते हुए एसडीपी डोनेट की।

सेवादार राजेंद्र सिंह हाड़ा के अनुसार जैसे ही डेरा सच्चा सौदा की हेल्प लाईन से मरीज की मदद करने की सूचना कोटा पहुंची वैसे ही कमल अपनी आदत के मुताबिक अपना क्लिनिक बन्द कर ब्लड बैंक पहुंचा और बी- पॉजिटिव एसडीपी डोनेट कर देवलाल के उपचार में सहयोगी बने। कमल ने कहा की गुरु संत डॉ गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा की पावन प्रेरणा से मानवता भलाई का काम कर खुशी हासिल कर पा रहा हूँ।

आठवें वेतन आयोग के गठन तक संघर्ष जारी रहेगा : महामंत्री मुकेश गालव

कोटा, (निसं)। पिछले 100 साल के उपलब्धि भरे इतिहास के कारण रेलकर्मचारियों का विश्वास सबसे ज्यादा लाल झण्डे की यूनियन पर है और यही विश्वास यूनियन की सबसे बड़ी ताकत है जो देश की इस एकमात्र गैर-राजनीतिक यूनियन को रेल कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने का लगातार अवसर प्रदान कर रही है। वेस्ट सेन्ट्रल रेलवे एम्पलाईज यूनियन के महामंत्री मुकेश गालव ने बताया कि आगामी 4, 5 व 6 दिसम्बर को भारतीय रेल में ट्रेड यूनियन की मान्यता के चुनाव में कर्मचारियों का समर्थन पूरा मिल रहा है।

डब्ल्यूसीआरयू के महामंत्री मुकेश गालव संबोधित किया।

कॉमरेड मुकेश गालव ने बताया कि एनपीएस की जगह ओपीएस के लिए जो संघर्ष एआईआरएफ डबलूसीआरईयू ने शुरू किया था उसके परिणामस्वरूप यूपीएस के रूप में सफलता मिली है, लेकिन लाभ ओपीएस की तरह मिलने से बचा है जिसमें ओपीएस में पीएफ की राशि जो कर्मचारी के मासिक वेतन से सेवानिवृति तक काट कर पीएफ खाते में कराया जाता था जिसका भुगतान कर्मचारी को सेवानिवृति पर प्रभावी ब्याज सहित भुगतान कर दिया जाता था, परन्तु यह प्रावधान वर्तमान यूपीएस में नहीं है। जिसके लिये डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ यूपीएस में जमा राशि को कर्मचारी की सेवानिवृति के समय ब्याज सहित भुगतान करवाने के लिये संघर्ष कर रही है। जिसको निश्चित रूप से सरकार से लड़ाई लड़कर प्राप्त किया जायेगा, तब तक यूपीएस को ओपीएस से भी बेहतर बनाने का प्रयास जारी रहेगा। इसी प्रकार आठवे वेतन आयोग का गठन करवाने के लिये डब्ल्यूसीआरईयू/एआईआरएफ पूरजोर तरीके से सरकार पर दबाव बनाये हुये है, जिससे रेलकर्मचारियों के वेतन व पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही रेलवे में हो निजीकरण के विरूद्ध भी डब्ल्यूसीआरईयू एआईआरएफ भरपूर विरोध कर रही है। किसी भी सूरत में रेलवे में निजीकरण नहीं होने दिया जायेगा। कॉमरेड मुकेश गालव ने कहा कि रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों जैसे ओपीएस में मिलने वाली सभी सुविधाएं दिलवाना, रेल का निजीकरण रोकना, 18 माह का बकाया डीए का भुगतान, ट्रैक पर काम करने वाली सभी कैटेगरी को हार्डशिप एवं रिस्क एलाउंस, एलडीसीई ओपन टू ऑल, सभी कर्मचारियों के लिये 4600 ग्रेड -पे तक पदोन्नति के अवसर खोलना, महिलाओं को मिलने वाले 20 प्रतिशत काटी गई चाईल्ड केयर लीव पुनः बहाल करवाना, वर्कशॉप में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिये बढ़ाये गये लॉट के आधार पर इंसेंटिव दर बढ़वाना, तथा क्रियेशन से बैन हटवाना, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कमेटी की सिफारिशों को अन्तिम रूप देकर लागू करवाना आदि मांगो की पूर्ति तक यूनियन और फेडरेशन का संघर्ष जारी रहेगा।

सार-समाचार

डीसीएम श्रीराम लिमिटेड को बेस्ट एम्पलॉयर अवॉर्ड-2024

कोटा, (निसं)। एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के 60वें स्थापना दिवस एवं डायमंड जुबली के अवसर पर जयपुर में आयोजित एक भव्य समारोह में डीसीएम श्रीराम लि., कोटा को उत्कृष्ट सर्वांगीण प्रदर्शन हेतु वर्ष 2024 का बेस्ट एम्पलॉयर अवॉर्ड प्रदान किया गया। यह अवॉर्ड समारोह के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री (राजस्थान), दीया कुमारी एवं उद्योग मंत्री, कृष्ण कुमार बिश्नोई द्वारा डीसीएम श्रीराम लि. के सीनियर वाइस प्रेसीडेन्ट-एचआर, निगम प्रकाश, वाईस प्रेसीडेन्ट पीवीसी, एस यू पुरानिक एवं वाइस प्रेसीडेन्ट कार्बाइड, मनोरंजन मोहापात्रा को प्रदान किया गया। उपरोक्त समारोह में एन.के.जैन, अध्यक्ष, एम्पलॉयर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। यह पुरस्कार वृहद श्रेणी (सीमेन्ट, केमिकल, प्रोसेस ग्रुप) में कर्मचारियों एवं नियोक्ता के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण स्थापित करने, प्रभावशाली उत्पादकता स्तर, व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, कौशल विकास, नवाचार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु डीसीएम श्रीराम लि, कोटा को प्रदान किया गया है।

बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की व्यवसाय समीक्षा बैठक सम्पन्न

कोटा, (निसं)। बैंक के कोटा क्षेत्र की व्यवसाय समीक्षा बैठक एवं उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं का सम्मान समारोह सोमवार को स्टेशन रोड कोटा स्थित होटल में आयोजित हुआ। समारोह में बैंक अध्यक्ष यादव एस ठाकुर एवं महाप्रबंधक वीसी जैन उपस्थित रहे। अध्यक्ष ठाकुर ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण वसूली के लिए चलाए विभिन्न अभियान एवं सभी व्यावसायिक मापदंडों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। जिसमे क्षेत्रीय कार्यालय स्टॉफ सहित क्षेत्र की 60 शाखाओं के शाखा प्रबंधक मौजूद रहे। इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय द्वारा बैंक की व्यावसायिक उपलब्धियों के साथ ग्राहक सेवा व व्यवसाय विस्तार हेतु किये जा रहे नवाचारों के बारे मे जानकारी दी गई। उक्त कार्यक्रम में अध्यक्ष ठाकुर ने बैंक कि विशेष योजना जिसमे आवास ऋण, कार ऋण एवं एमएसएमई ऋण पर बैंक द्वारा आकर्षित एवं न्यूनतम ब्याज दर पर ऋण वितरण किये जाने के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार यादव ने बताया कि वर्तमान में कि बैंक वाणिज्यिक बैंकों के साथ-साथ निजी बैंकों से भी अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धी है यादव ने बताया कि बैंक कि क्षेत्र में 60 शाखाएं कार्यरत है। जिनकी वर्तमान में कुल जमाए 2053 करोड़, कुल अग्रिम 1639 करोड़ एवं कुल व्यवसाय 3692 करोड़ है। समारोह के अंत में मुख्य प्रबंधक दिनेश चंद गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया।

रेडक्रॉस राज्य प्रबंधन की बैठक सम्पन्न

कोटा, (निसं)। रेडक्रॉस राजस्थान राज्य शाखा की प्रबंधन समिति की बैठक स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला की अध्यक्षता में जयपुर रेडक्रॉस भवन में आयोजित हुई। स्टेट सेक्रेट्री जगदीश जिंदल ने बताया कि बैठक में प्रदेशभर के सभी संचालक मंडलों ने भाग लिया और रेडक्रॉस की विभिन्न सेवाओं को और प्रभावी बनाने पर चर्चा की। बैठक ने रेडक्रॉस की सेवाओं को और सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बिरला ने बताया कि बैठक में जयपुर स्थित रेडक्रॉस कार्यालय में डायग्नोस्टिक सेंटर, ओपीडी और मेडिकल शॉप शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। यह सुविधा आम जनता को किफायती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की जाएगी। राजेश कृष्ण बिरला ने कहा कि राज्यभर के अस्पतालों में मरीजों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स को सर्दियों में रात में होने वाली परेशानियों को देखते हुए, रेडक्रॉस ने कंबल निधि की शुरुआत करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत, जरूरतमंदों को सर्दियों में कंबल उपलब्ध कराए जाएंगे। इस पहल को पूरे राजस्थान में रेडक्रॉस के माध्यम से लागू किया जाएगा। बैठक में चेयरमैन बिरला ने कहा, 'रेडक्रॉस का उद्देश्य हमेशा जरूरतमंदों की सेवा करना रहा है। नई योजनाएं हमारे सेवा कार्यों को और मजबूत बनाएंगी।' उन्होंने सभी संचालक मंडलों से इन कार्यों को तेजी से क्रियान्वित करने की अपील की।

अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किये

कोटा, (निसं)। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड और द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट ने एक अनुसंधान समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत ''एडवांस्ड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन्स के लिए सीएफसीएल-टीईआरआई उत्कृष्टता केंद्र'' स्थापित किया जाएगा। इस समझौते पर सीएफसीएल के प्रबंध निदेशक अभय बैजल और टीईआरआई की महानिदेशक डॉ.विभा धवन ने हस्ताक्षर किऐं। इस संयुक्त पहल का उद्देश्य भारतीय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता में ठहराव, मिट्टी के स्वास्थ्य में गिरावट, पोषक तत्वों की कम उपयोग दक्षता, रसायनों के प्रति प्रतिरोध, और अधिक मात्रा में सिंथेटिक इनपुट्स के पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव जैसे प्रमुख मुद्दों को हल करना है। इस पहल के तहत नैनो जैव प्रौद्योगिकी आधारित वैकल्पिक उर्वरक, जैव उर्वरक, जैव उत्तेजक, जैविक नियंत्रण एजेंट और जैव कीटनाशक जैसे नवीन जैव उत्पाद विकसित किए जाएंगे, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँचाए बिना किसानों को बेहतर लागत-लाभ अनुपात प्रदान करेंगे।

नेत्र चिकित्सा शिविर में 90 रोगी लाभांवित

कोटा, (निसं)। इनरव्हील क्बल कोटा नेत्रचिकित्सा शिविर में 90 व्यक्तियो का नेत्रशल्य चिकित्सा की गई। अध्यक्ष चारू जैन ने बताया कि क्लब ने नयापुरा में नेत्रचिकित्सा शिविर आयोजत कर निःशुल्क ऑपरेशन करवाये।

भारतीय रेल लेखा सेवा दिवस मनाया

कोटा, (निसं)। पश्चिम मध्य रेलवे मुख्यालय के लेखा विभाग द्वारा लेखा अधिकारी सम्मेलन का आयोजन किया और भारतीय रेल लेखा सेवा (आइआरएएस) दिवस मनाया गया।

पमरे प्रधान वित्त सलाहकार मनजीत कौर की अध्यक्षता में यह सम्मेलन सपन्न हुआ। इस लेखा अधिकारी सम्मेलन में वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी दीपक कुमार खैरहा एवं अरविन्द शर्मा तथा पश्चिम मध्य रेलवे के सभी लेखा अधिकारियों ने भाग लिया। पश्चिम मध्य रेलवे के तीनों मण्डलों, दोनों कारखानों और निर्माण लेखा इकाइयों द्वारा बजटीय समीक्षा और प्रगति पर चर्चा की गई। भारतीय रेल लेखा सेवा (आइआरएएस) दिवस समारोह का आयोजन किया गया। जिसमे आलोक दवे सेवानिवृत महाप्रबंधक/एमसीएफ/रायबरेली मुख्य अतिथि रहे।

सतीश गोपालानी अध्यक्ष, श्याम रोहिड़ा सचिव निर्वाचित

कोटा, (निसं)। श्रीकृष्ण मुरारी गौशाला के दिवार्षिक चुनाव संपन्न हुए। इस अवसर पर सर्वप्रथम गत दो वर्ष का आय-व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। जिसे सदन द्वारा सर्वसम्मति से पारित पास किया गया। चुनाव अधिकारी लदाराम ग्वालानी एवं अर्जुनदास जयसिंघानी के सानिध्य में संपन्न हुऐं। अध्यक्ष पद पर सतीश गोपालानी, सचिव पद पर श्याम रोहेड़ा निर्विरोध, कोषाध्यक्ष पद पर हरिप्रकाश पंजवानी निर्विरोध, उपाध्यक्ष पद पर चंद्रप्रकाश खूबचंदानी एवं निरंजन महबूबाणी सांस्कृतिक मंत्री के पद पर शंकर लाल अरोड़ा एवं निर्माण मंत्री पद पर वासुदेव जयसिंघानी एवं प्रचारमंत्री पर खुशीराम निर्विरोध निर्वाचित हुए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सतीश गोपालानी ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई शुभकामनाएं दी और कहा कि आप सभी के सहयोग तथा सहभागिता से इस संस्था में विकास कार्य होंगे।

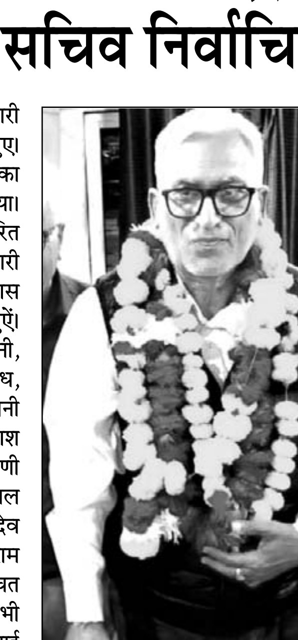

सतीश गोपालानी

मधुश्री चाय की डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेन्स सम्पन्न

कोटा, (निसं)। मधुश्री चाय की डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फ्रेन्स का आयोजन एक दिसम्बर रविवार को झालावाड़ रोड़ स्थित मधुश्री हॉटल में किया गया। कॉन्फ्रेन्स में हाड़ौती के समस्त डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हुए। कॉन्फ्रेन्स में मधुश्री चाय के निदेशक पवन कुमार हिसारिया ने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अपने विचार प्रकट किए। प्रतिस्पर्धा के दौर में क्वालिटी बनाएं रखने के साथ-साथ बिक्री बढ़ाने के उपायों की चर्चा की। मधुश्री चाय के व्यापारियों के लिए कॉन्फ्रेन्स के अंत में लक्की ड्रॉ खोला गया जिसमें एक मारूति कार, 15 मोटर साईकिल, 24 फ्रीज, 24 एलईडी टीवी, 24 गीजर, 12 वॉशिंग मशीन, 12 आटा चक्की, 60 मिक्सर ग्राइन्डर, 120 सिलिंग्स फेन, 1200 कुर्सीयाँ, 1200 बेड शीट, 300 वाटर केम्पर आदि इनाम व्यापारियों के लिए निकाले गए। अंत में निदेशक कमल कुमार हिसारिया ने सभी आगंतुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का कॉन्फ्रेन्स में आने के लिए आभार प्रकट किया।

कोटा में मधुश्री चाय के डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉन्प्रेस सम्पन्न हुई।

शामगढ़ का पुनर्विकास कार्य 56 फीसदी तक पूरा हुआ

■ अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत शामगढ़ स्टेशन का कायाकल्प

कोटा, (निसं)। मंडल के शामगढ़ रेलवे स्टेशन का कायाकल्प अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 19.64 करोड रुपये की लागत से तीव्र गति से किया जा रहा है। वर्तमान में स्टेशन का 56 फीसदी कार्य पूरा हो चुका हैं। शामगढ़ रेलवे स्टेशन धर्मराजेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। यह स्टेशन उन्नत यात्री सुविधाओं के कायाकल्प से एक आदर्श स्टेशन बन जाएगा।

स्टेशनों के कार्य प्रगति का नियमित अन्तराल पर डीआरएम मनीष तिवारी द्वारा निरीक्षण एवं समीक्षा की जा रही है। इस स्टेशन का उन्नयन कार्य मार्च, 2025 से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। अबतक इस स्टेशन के पुनर्विकास में मुख्य कार्य प्लेटफ़ॉर्म सतह का निर्माण, सर्कुलेटिंग एरिया का सड़क एवं प्लेटफ़ॉर्म पर कवर शेड का कार्य पूर्ण हो चुका है।

स्टेशन नवीनीकरण एवं उन्नत यात्री सुविधाओं से युक्त होने पर स्थानीय आमजनता को लाभ एवं आर्थिक गतिविधियों में इजाफा होगा। अमृत स्टेशन योजना के अन्तर्गत मंडल के 17 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, अलग-अलग प्रवेश व निकास द्वार, टू-व्हीलर, फोर-व्हीलर और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग पार्किंग की सुविधा, यात्री क्षमता के अनुसार पर्याप्त क्षेत्र में प्रवेश हॉल का निर्माण, कोच इंडिकेशन बोर्ड का प्रावधान, वेटिंग रूम, स्टेशन बिल्डिंग के आंतरिक व बाहरी भाग में उत्कृष्ट साज-सज्जा, स्थानीय लोक कला से निर्माण, नए प्लेटफॉर्म शेल्टर, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, बेहतर साइनेज की सुविधा, 12 मीटर चौड़ाई के फुटओवर ब्रिज इत्यादि यात्री सुविधाएं विकसित की जा रही है।

अमृत स्टेशन पुनर्विकास योजनाओं से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, लोगों को आने जाने मे सुविधा होगी, स्वच्छ और आधुनिक रेलवे स्टेशनों से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास होगा।

हैतुक दर्शित करने के लिए सूचना
(साधारण प्रारुप)
(व्यवहार प्रक्रिया संहिता की पहली अनुसूची संख्या 4)

नाम अदालत सिविल न्यायाधीश स्थान दक्षिण, कोटा (राज.)

रेशु अग्रवाल विरुद्ध दिनेश कुमार

वाद / प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा
प्रार्थना संख्या CS 439/22

नाम (1) दिनेश कुमार राठौर पुत्र हनुमान प्रसाद राठौर जाति ... (2) श्रीमती गिरिजा साहू पत्नी दिनेश कुमार राठौर पता-निवासीगण- 111, अक्षरधाम स्पेशल, थेकड़ा रोड़, बोरखेड़ा, कोटा (राज.) हाल निवासी 9-ए, शक्ति विहार, देवली अरब रोड़, बोरखेड़ा, कोटा (राज.)

उक्त प्रार्थीया ने इस अदालत में यह आवेदन किया है कि ....

अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आपके आवेदन के विरुद्ध हैतुक दर्शित करने के लिए ता. 02 मास 01 सन् 2025 को 10 AM पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्पर्क रुप से अनुदेश दिया गया हो उपसंज्ञात हो यदि आप ऐसा करने में असफल रहेंगे तो उक्त आवेदन की सुनवाई और उसका निपटारा एक पक्षीय रुप में किया जायेगा।

यह आज ता. 22 मास 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

मुद्रा — सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण) कोटा

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
(आदेश 5 के नियम 1 और 5)

न्यायालय सिविल न्यायाधीश स्थान दक्षिण, कोटा (राज.)

रेशु अग्रवाल
विरुद्ध
दिनेश कुमार राठौर

बाबत् वास्ते निषेधाज्ञा
वाद सं. - CS 547 सन् 2022

बनाम (1) दिनेश कुमार राठौर पुत्र हनुमान प्रसाद राठौर जाति ... (2) श्रीमती गिरिजा साहू पत्नी दिनेश कुमार राठौर स्थान- 111, अक्षरधाम स्पेशल, थेकड़ा रोड़, बोरखेड़ा, कोटा (राज.)
हाल निवासी 9-ए, शक्ति विहार, देवली अरब रोड़, बोरखेड़ा, कोटा (राज.)

वादीया ने आपके विरुद्ध .... के लिए संस्थित किया जाता है। आपका इस न्यायालय में तारीख 02 माह 01 सन् 2025 को दिन में 10 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) के लिए समय दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में है पेश करें। जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रुप में निर्भर करते हैं तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लेखित कथन के साथ उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें। आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा। यह आज तारीख 22 माह 11 सन् 2024 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।

मुद्रा — सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट (दक्षिण) कोटा

राजस्थान सरकार
कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, कोटा खण्ड कोटा

राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अधीन नोटिस
समस्त संबंधित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 90 /2024
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री हाजी मौलाना रौनक अली पुत्र श्री फारुक अली निवासी 25 शिवनगर पुलिस लाईन बारां रोड कोटा द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 23 के अन्तर्गत प्रन्यास "दारुल उलुम फैजाने अशफाकिया मेहमुदिया चेरीटेबल ट्रस्ट" 25 शिव नगर पुलिस लाईन कोटा में प्रन्यासियों में हुए परिवर्तन एवं संशोधित विधान को दर्ज अभिलेख करने हेतु जांच किए जाने के लिए प्रपत्र संख्या 8 में आवेदन पत्र दिया है।

अतएव धारा 23 में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास में हुए परिवर्तन/संशोधित विधान जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिये, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों प्रस्तुत करें।

और सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्रस्तुत नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित प्रकिया अनुसार से निर्णित किया जावेगा तथा जांच प्रपत्र मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 29.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मोहर के अधीन जारी किया गया। प्रकरण में आगामी सुनवाई की दिनांक 30.12.2024

सहायक आयुक्त
देवस्थान कोटा विभाग कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 4253 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 25.11.24

आवास संख्या 1-म-3 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती लुईजा मेत्रा पत्नी श्री एस.के. मेत्रा को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती लुईजा मेत्रा पत्नी श्री एस.के. मेत्रा द्वारा दिनांक 17.11.1988 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती लुईजा मेत्रा पत्नी श्री एस.के. मेत्रा द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 14.07.2008 को श्रीमती नीलम भाटिया पत्नी श्री पवन भाटिया को किया गया। श्रीमती नीलम भाटिया पत्नी श्री पवन भाटिया का नाम दिनांक 21.08.2008 को विक्रय पत्र के आधार पर मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्रीमती नीलम भाटिया पत्नी श्री पवन भाटिया द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 04.12.2019 को श्री अमित कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद नाथ खण्डेलवाल को किया गया। श्री अमित कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद नाथ खण्डेलवाल द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 1-म-3 विज्ञान नगर विस्तार योजना कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अमित कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद नाथ खण्डेलवाल का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अमित कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद नाथ खण्डेलवाल का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्री अमित कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री प्रहलाद नाथ खण्डेलवाल के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2024/104 — दिनांक:-2.12.24
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भूखंड संख्या 22-डी श्रीनाथपुरम सेक्टर-डी आवासीय योजना में आवंटन पत्र क्रमांक 1699 दिनांक 19.05.1993 को श्री रजनीश कुमार ओझा पुत्र श्री गिरधर गोपाल ओझा के नाम आवंटन किया गया था। श्री रजनीश कुमार ओझा पुत्र श्री गिरधर गोपाल ओझा द्वारा उक्त भूखंड का जर्ये मुख्तारआम श्री गिरधर गोपाल ओझा पुत्र श्री मुकुट लाल ओझा द्वारा जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 10.09.2020 को श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री नवनीत गौतम को विक्रय कर दिया गया है। अतः श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री नवनीत गौतम द्वारा उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से नामहस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 22-डी श्रीनाथपुरम सेक्टर-डी आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती मधु शर्मा पत्नी श्री नवनीत गौतम के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रु./2024/2352 — विज्ञप्ति — दिनांक:-18.9.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा योजना जयहिन्द नगर खसरा नं 664 में स्थित भूखण्ड संख्या 81 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल निवासी-कहारों का मोहल्ला, कैलाश किराना स्टोर, कंसुआ कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2054 दिनांक 26.09.2018 को श्री रामपाल पुत्र श्री चतरालाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 16.11.2022 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत वसीयत श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल के पक्ष में आलेखित कर दी थी। आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंजीकृत वसीयत एवं शपथ पत्रों के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रु./2024/2353 — विज्ञप्ति — दिनांक:-18.9.2024

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम रामपुरा योजना जयहिन्द नगर खसरा नं 664 में स्थित भूखण्ड संख्या 80 के नाम हस्तान्तरण करने हेतु न्यास कार्यालय में श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल निवासी-कहारों का मोहल्ला, कैलाश किराना स्टोर, कंसुआ कोटा राज. द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त भूखण्ड का पट्टा क्रमांक 2053 दिनांक 26.09.2018 को श्री रामपाल पुत्र श्री चतरालाल के पक्ष में जारी किया गया था। आवेदक द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार पट्टेधारी की मृत्यु दिनांक 16.11.2022 को हो चुकी है। पट्टेधारी द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत वसीयत श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल के पक्ष में आलेखित कर दी थी। आवेदक द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र, पंजीकृत वसीयत एवं शपथ पत्रों के आधार पर अपने पक्ष में नाम हस्तांतरण चाहा गया है।

अतः श्री विनोद कुमार पुत्र श्री रामपाल के नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी।

उप सचिव नगर विकास न्यास, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2024/95 — दिनांक:- 02.11.2024
नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा भूखंड संख्या 212 सुभाष नगर योजना में नाम हस्तान्तरण क्रमांक 1487-88 दिनांक 09.09.2014 को श्री कृष्णकान्त आनन्द पुत्र स्व. अविनाष कुमार आनन्द को कर दिया गया है। नाम हस्तान्तरी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजिस्टर्ड पत्र दिनांक 05.05.2016 से राधा रमण गांधी पुत्र रामकृष्ण गांधी को कर दिया है। क्रेता राधा रमण गांधी का स्वर्गवास दिनांक 18.12.2021 को हो चुकी है। मृत्यु उपरान्त क्रेता के विधिक वारिसानों द्वारा आवेदक के पक्ष में निष्पादित रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र दिनांक 22.09.2024 से शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त भूखंड का स्वामित्व अपने नाम से हस्तान्तरण करने हेतु न्यास में आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखंड संख्या 212 सुभाष नगर आवासीय योजना का नाम हस्तान्तरण श्रीमती अनिता गांधी पत्नी स्व. श्री राधा रमन गांधी के नाम स्वीकृति जारी कर दी जायेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा
क्रमांक:-96 — नाम हस्तान्तरण चाहने बाबत आम सूचना — दिनांक:-02.11.2024

नगर विकास न्यास कोटा की केशवपुरा-6 आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 138 का आवंटन/हस्तान्तरण जर्ये इकरारनामा रजि. न्यास के पत्र दिनांक 30.07.2013 को श्री विष्णु प्रसाद शर्मा पुत्र श्री रामगोपाल को किया गया था। आवंटी श्री विष्णु प्रसाद शर्मा की मृत्यु दिनांक 15.12.2022 को हो चुकी है। मृत्यु उपरांत आवंटी के विधिक वारिसान हकदार श्रीमती राधा शर्मा द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, आई.डी., रिलीज डीड, हक त्याग इत्यादि प्रस्तुत कर उक्त भूखंड/आवास को अपने नामहस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्राप्त विधिक राय अनुसार जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त भूखण्ड/आवास संख्या 138 योजना केशवपुरा-6 का नाम हस्तान्तरण श्रीमती राधा शर्मा पत्नी स्व. श्री विष्णु प्रसाद शर्मा के नाम स्वीकृति जारी कर दी जावेगी।

उपसचिव कोटा विकास प्राधिकरण कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा
क्रमांक 4333 — जाहिर आम सूचना — दिनांक - 2.12.24

आवास संख्या 4-त-3 विज्ञान नगर कोटा का आवंटन मंडल द्वारा श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सुरेशचन्द्र को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सुरेशचन्द्र द्वारा दिनांक 17.12.1987 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सुरेशचन्द्र द्वारा उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 30.08.1988 को श्री बसन्त कुमार जांगिड पुत्र श्री शिवदयाल को किया गया। श्री बसन्त कुमार जांगिड पुत्र श्री शिवदयाल का नाम दिनांक 19.11.1988 को विक्रय पत्र के आधार पर उक्त आवास के मंडल अभिलेख में दर्ज किया गया। तत्पश्चात श्री बसन्त कुमार जांगिड पुत्र श्री शिवदयाल द्वारा इस आवास से संबंधित समस्त कार्य करने हेतु अपनी ओर से दिनांक 04.08.1999 को श्री वासुदेव डिगड़ा पुत्र श्री अर्जुन दास को मुख्तारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री वासुदेव डिगड़ा पुत्र श्री अर्जुन दास मुख्तार आम श्री बसन्त कुमार जांगिड पुत्र श्री शिवदयाल द्वारा मुख्तार आम धारक की हैसियत से उक्त आवास का बैचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 23.06.2003 को श्रीमती पूजा डिगड़ा पत्नी श्री वासुदेव डिगड़ा को किया गया।

अतः उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा डिगड़ा पत्नी श्री वासुदेव डिगड़ा का नाम दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुये कि उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा डिगड़ा पत्नी श्री वासुदेव डिगड़ा का नाम दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मंडल अभिलेख में विक्रय पत्र के आधार पर श्रीमती पूजा डिगड़ा पत्नी श्री वासुदेव डिगड़ा के नाम दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल, कोटा वृत्त कोटा

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, हिण्डोली, जिला बून्दी (राज.)
क्रमांक:-न.पा.हि./2024/630 — दिनांक-2.12.24
आपत्ति आमंत्रण सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगरपालिका हिण्डोली में 90 क कृषि भूमि रुपांतरण पश्चात स्वीकृत ले-आउट प्लान में स्थित भूखंडों का खातेदारों द्वारा हस्तांतरण किए जाने के फलस्वरुप 90 क अंतर्गत पट्टा बनाये जाने हेतु प्राप्त आवेदन में यदि किसी हितधारक को आपत्ति हो तो अंदर 7 योम में अधोहस्ताक्षर कर्ता के समक्ष युक्तियुक्त दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवा सकता है, अन्यथा बाद मियाद पट्टा बना दिया जावेगा।

क्र. सं.	नाम	पता	भूखंड	कोलोनी/ खसरा सं.
1	रविप्रकाश नामा आ. रामगोपाल	कलालों का मोहल्ला तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 32	महावीर नगर ब्लॉक B 1960, 1961
2	रविप्रकाश नामा आ. रामगोपाल	कलालों का मोहल्ला तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 33	महावीर नगर ब्लॉक B 1960, 1961
3	राजकुमारी नामा पत्नी रविप्रकाश नामा	कलालों का मोहल्ला तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 34	महावीर नगर ब्लॉक B 1960, 1961
4	राजकुमारी नामा पत्नी रविप्रकाश नामा	कलालों का मोहल्ला तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 35	महावीर नगर ब्लॉक B 1960, 1961
5	राजी देवी पत्नी रामस्वरुप गुर्जर	ग्रा. हुवालिया पो. पगारा तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 29	महावीर नगर ब्लॉक B 1960
6	राजी देवी पत्नी रामस्वरुप गुर्जर	ग्रा. हुवालिया पो. पगारा तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 30	महावीर नगर ब्लॉक B 1960
7	राजी देवी पत्नी रामस्वरुप गुर्जर	ग्रा. हुवालिया पो. पगारा तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 31	महावीर नगर ब्लॉक B 1960
8	दुर्गालाल मीणा आ. पोखरलाल मीणा	पो. मेंडी, तह. हिण्डोली, जि. बूंदी	भूखंड सं. 21	महावीर नगर ब्लॉक B 1962

अधिशाषी अधिकारी
नगरपालिका हिण्डोली